POSTAL REG.NO. RJ/JPC/M-28/2009-11 (RNI. REG. NO. 39658/83) # ग्रा.ग./2011/अंक 10 कृपया इसे चौराहे पर चिपकाइये

मासिक प्रेषण दि. 8 अक्टूबर, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 अक्टूबर, 2011 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! देश विकास के पथ पर बड़ी तेजी से दौड़ रहा है। आज हम 10 फीसदी विकास दर को छूने का संकल्प व्यक्त करते हैं और विश्व शक्ति के रूप में उभरने की तैयारी पर है। लेकिन सवाल उठता है इस विकास का आमजन के जीवन पर कितना असरदार प्रभाव पड़ रहा है और अभी भी उनके द्वार से विकास की गंगा कितनी दूर है?

भारत में गरीबों की पहचान करने के लिए जो नीतियां अपनाई जा रही है वह काफी दोषपूर्ण है। गरीबों की बनी सूची में कई बेहद गरीबों के नाम नहीं जुड़ पाते। प्रायः गरीबों के लिए चलाई जाने वाली सभी सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, जिससे गरीबों को उनका हक नहीं मिल रहा।

'नरेगा' गरीबों को रोजगार से जोड़ने की महत्वपूर्ण और बहुचर्चित योजना है। लेकिन इसके भी फायदे गरीबों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रहे। इस बारे में किए गए कई अध्ययनों से यह बात उभर कर आई है तथा अभी तक इसके वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

एक चर्चित अनुमान के अनुसार इस योजना का लगभग 35 से 40 फीसदी फायदा ही गरीबों तक पहुंच पाता है, बाकी सारा राजनेताओं, नौकरशाहों और दलालों की जेबों में चला जाता है। यह राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मोटा अनुमान है तथा विभिन्न राज्यों में इसकी स्थिति कम या ज्यादा हो सकती है।

अन्य चर्चित योजनाओं के बजट हर साल बढ़ने के बावजूद असंख्य गरीब भूखे रह जाते हैं। खुद योजना आयोग मानता है कि देश में केवल 57 फीसदी गरीबों के पास राशन कार्ड हैं। आयोग इसे भी स्वीकार करता है कि अनुदानित मूल्य पर बांटा जा रहा 58 फीसदी अनाज बीपीएल परिवारों तक नहीं पहुंचता। उनके स्वास्थ्य के पलड़े में रखा गया धन कुपोषण को नहीं रोक पाता, जबकि सरकार के अनाज भंडार सड़ रहे हैं।

केन्द्र सरकार द्वारा देश में सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक लाया जाना प्रस्तावित है। परन्तु यदि इस प्रस्तावित कानून के क्रियान्वयन में उचित तरह की व्यवस्था नहीं की जाती है, तो यह भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की तरह निरर्थक साबित होगा।

पहला सवाल है गरीबी की पहचान क्या?

क्या आप बता सकते हैं कि आपके गांव में कौन लोग गरीबी की श्रेणी में आते हैं! प्रश्न बड़ा जटिल है। आप किसको गरीब मानें, गरीबी का आधार क्या हो, किन लोगों के लिए सबसे पहले सरकारी मदद जरूरी हो? जब यह सवाल सरकारी नुमाइन्दों से किया जाता है तो वे भी इसका ठीक से जवाब देने में नाकाम रहते हैं। देश में गरीब परिवारों की पहचान के लिए 1992, 1997 और 2002 में राष्ट्रीय सर्वेक्षण हो चुके हैं, लेकिन हर बार खुद सरकार यह स्वीकार करती रही है कि इनमें आधे से ज्यादा गरीब परिवार सम्मिलित नहीं हो पाए।

सरकार गरीब परिवारों की पहचान के लिए अब चौथा सर्वेक्षण करवा रही है। यह सर्वेक्षण खासतौर से काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि, ग्रामीण स्तर तक निर्धन परिवारों को खाद्य सुरक्षा के तहत उन्हें बहुत कम कीमत में अनाज व अन्य सुविधाएं मुहैया कराया जाना है, जिससे वे अपना सही तौर पर जीवन निर्वाह कर सकें। मद्देनजर इस बार सर्वेक्षण में कोई चूक न हो और कोई वास्तविक जरूरतमंद सुविधाओं से वंचित न रहे। इस पर खास ध्यान दिया जाना है।

मददगार है ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना

वर्तमान में 'नरेगा' ग्रामीण गरीब परिवारों को रोजगार के जरिए आत्मनिर्भर बनाने की सबसे बड़ी योजना है। हजारों करोड़ रुपए इस योजना पर हर साल खर्च किए जा रहे हैं। गांवों में ग्रामीण इस योजना की तारीफ करते हैं। उनका कहना है कि इससे जरूरतमंद लोगों को रोजगार मिला है और गांव में विकास के काम भी हुए हैं। लेकिन योजना के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार, कम मजदूरी मिलने, कागजों में हेराफेरी जैसी गड़बड़ियां उन्हें बेहद अखरती हैं।

देश में इन कमियों को दूर करने के लिए काफी बहस भी चल रही है, क्योंकि यह योजना ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रही है। इस योजना से ग्रामीण बीपीएल परिवारों के लिए बनी अन्य कई योजनाओं को जोड़ा जा सकता है। मसलन, हाल ही प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण बीपीएल आवास योजना व इन्दिरा आवास योजना के काम नरेगा श्रमिकों के जरिए कराने का प्रस्ताव रखा है।

'आधार' करेगा समस्या का निदान

राजस्थान में 'आधार' योजना के तहत डाक विभाग को 12 अंकों का 'आईडी' अर्थात विशेष पहचान पत्र जारी करने का काम दिया गया है। इस योजना का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आजादी के बाद यह पहला मौका होगा जब आम आदमी को पहचान का प्रमाण मिलेगा। इसके अभाव में आम लोगों को कई छोटे-मोटे कामों में दिक्कतें आती थीं, जिनसे अब निजात मिल जाएगी।

इस अवसर पर केन्द्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री सचिन पायलट ने कहा कि यह योजना देश के 120 करोड़ लोगों को पहचान दिलाने के अलावा, जरुरतमंदों को सरकारी योजनाओं के वाजिब हक दिलाने में मदद करेगी। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली और ग्रामीण रोजगार गांरटी जैसी योजनाओं के सही लाभ मिल सकेगें। हाल ही गरीबों को मिट्टी के तेल, रसोई गैस और उर्वरक आदि पर नकद सब्सिडी देने पर भी विचार चल रहा है। इस व्यवस्था को सीधे विशेष पहचान पत्र से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। इसी तरह इससे गरीबों के हित की अन्य योजनाओं को भी जोड़ा जा सकेगा।

देश में कम हो गए पांच फीसदी गरीब ?

योजना आयोग द्वारा जारी गरीबी और गरीबों से जुड़े नए आंकड़ों के अनुसार पिछले पांच सालों में देश में पांच फीसदी गरीब घट गए हैं। अर्थात देश में गरीबों की संख्या कम हो गई है। गरीबों का प्रतिशत 5.2 घटकर 32 प्रतिशत पर आ गया है।

आयोग के अनुसार पांच साल पहले देश में 37.2 प्रतिशत लोग गरीब थे। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 34.4 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिता रही है।

हालांकि योजना आयोग के आंकड़ों की सच्चाई पर हमेशा से ही विवाद रहता आया है और इन्हें सही नहीं ठहराया जाता। पिछले दिनों उच्चतम न्यायालय ने भी इन आंकड़ों पर सवाल उठाया था और आयोग को फटकार लगाई थी।

गरीबी योजनाओं पर उठा सवाल

भले ही केन्द्र सरकार अपना चुनावी वादा पूरा करने के लिए जीडीपी का दो फीसदी हिस्सा गरीबी मिटाने के कार्यक्रमों पर खर्च करने का दावा कर रही हो, लेकिन विश्व बैंक की एक रिपोर्ट ने इन कार्यक्रमों को काफी हद तक असफल करार दिया।

विश्व बैंक के अनुसार बीपीएल के लिए सस्ती दर पर अनाज वितरण व नरेगा जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन बेहद लचर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गरीबी मिटाने की योजनाएं लालफीताशाही व भ्रष्टाचार की मिसाल बन चुकी हैं। इन योजनाओं का गरीबों को पूरा लाभ नहीं मिला। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकार ने निर्धनों का जीवन स्तर सुधारने के लिए बड़ी लागत वाली योजनाओं का ढिंढोरा तो पीटा था, लेकिन गरीबी कम करने की कई योजनाएं कागजों में ही सिमट कर रह गई।

गठित होंगे स्वयं सहायता समूह

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत देश के सात करोड़ गरीब परिवारों के स्वयं सहायता समूह गठित किए जाएंगे। जिला स्तर पर इनका फेडरेशन बना कर स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएंगे।

यूपीए और कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यह घोषणा करते हुए बताया कि यह योजना पहले राजस्थान के 16 जिलों में लागू की जाएगी। वित्त मंत्रालय ने इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

खाद्य सुरक्षा बिल से लगी है आस

केन्द्र सरकार संसद के चालू मानसून सत्र में खाद्य सुरक्षा अधिनियम संबंधी प्रस्ताव लाएगी। ताकि देश का कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे और हर व्यक्ति के लिए भरपेट भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। यह जानकारी केन्द्रीय शहरी आवास, गरीबी उन्मूलन एवं पर्यटन मंत्री कुमारी शैलजा ने देते हुए कहा कि सरकार गरीबों के लिए अनेक कल्याणकारी नीतियां बना रही है।

लेकिन देखा जाए तो वर्तमान हालातों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल के संसद में पेश होने की संभावना कम दिखाई दे रही है। क्योंकि, गरीबों की संख्या तय करने में हो रही मुश्किलों के कारण मामला टलता दिख रहा है। सरकार के पास अर्जुन सेनगुप्ता कमेटी, तेंदुलकर कमेटी और सक्सेना कमेटी की अलग-अलग रिपोर्टें हैं। तीनों ही कमेटियों ने गरीबों की संख्या तय करने के अलग मानक अपनाए हैं। इससे तीनों के आंकड़े भी अलग-अलग है। सरकार तय नहीं कर पा रही कि किस आंकड़े को सही मान कर उसके आधार पर बिल के प्रावधान बनाए जाएं।

सरकारी इच्छाशक्ति की कमी

हाल ही संसद में महंगाई और उसके कारण गरीबों पर पड़ी मार पर जमकर बहस हुई। महंगाई घटने और बढ़ने पर पक्ष और विपक्ष में परस्पर भाषणबाजी भी खूब हुई। लेकिन जब मत विभाजन का मौका आया तो सरकार के खिलाफ सिर्फ 51 सांसद खड़े हुए। अर्थात, बहस खाली दिखावा साबित हुई। सबसे बड़ी समस्या यह उभर कर सामने आई कि सांसद गरीब लोगों की परेशानी का अंदाजा तक नहीं लगा पा रहे।

पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि महंगाई कम नहीं होने की वजह है सरकार की इच्छाशक्ति की भारी कमी। उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पिछले 20 माह में महंगाई के चलते पांच करोड़ और लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं। कमरतोड़ महंगाई और उच्च स्तर से नीचे तक फैले भ्रष्टाचार ने गरीबों का जीना दुश्वार कर दिया है। इससे सबसे ज्यादा मार बेरोजगारों व खेतीहर मजदूरों पर पड़ी है। यह कैसा विकास है जो आम आदमियों को खाए जा रहा है?

60 हजार तक आय वाले होंगे बीपीएल

राज्य के 7 जिलों में सालाना 60 हजार रुपए तक की आय वाले परिवार अब बीपीएल श्रेणी में शामिल होंगे। इन्हें 'मार्जिनल बीपीएल' कहा जाएगा। इन्हें सिर्फ राशन में ही लाभ मिलेगा। बीपीएल की अन्य योजनाओं के लाभ इन्हें नहीं मिलेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की केन्द्रीय सतर्कता समिति के अध्यक्ष पी.डी. वाधवा की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं।

गरीब श्रेणी के माने गए उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली और झालावाड़ जिलों में मार्जिनल बीपीएल को प्रतिमाह दस किलो गेहूं 4 रुपए 70 पैसे प्रति किलो की दर से मिलेगा।

हर बीपीएल को मिलेगा खुद का घर

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सरकार ने बीपीएल लोगों के लिए रोटी और मकान की व्यवस्था कर दी है। उन्हें शिक्षा, चिकित्सा व रोजगार सहित सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है।

उन्होंने कहा कि अब सरकार प्रत्येक गरीब का खुद के घर का सपना भी साकार करने जा रही है। सरकार का यह प्रयास है कि तीन साल में प्रत्येक व्यक्ति को पक्की छत मिले। इसके लिए बीपीएल आवास योजना और इन्दिरा आवास योजना के तहत उन्हें मकान दिए जाएंगे। इस हेतु 3400 करोड़ रुपए के खर्च का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार की राजीव आवास योजना की शुरुआत भी राजस्थान से होगी। इन योजनाओं में पारदर्शिता व जवाबदेही की पुख्ता व्यवस्था होगी।

ईश्वर मंदिर में नहीं

महान संत कबीर ने सभी को सावचेत करते हुए कहा है कि ईश्वर मंदिर में नहीं, किसी पत्थर में नहीं वह तो 'ज्यों तिल माहीं तेल है- त्यों चकमक में आग।' उन्होंने कहा है कि 'पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। इससे तो चाकी भली पीस खाय संसार।।'

आज हम 'मन ना रंगाये जोगी कपड़ा रंगाये' की हालत में धार्मिकता बढ़ा रहे हैं? मन्दिरों की हर तरफ भरमार है। उनकी सार-संभाल भी ढंग से नहीं हो रही। आज समाज के गरीब वर्ग के लिए स्कूल, कॉलेज, छात्रावास और चिकित्सालय खोलने की सोच बनानी चाहिए। परमात्मा की आत्मा यदि मनुष्य के भीतर है तो मानव प्रथमतः स्वयं चलता फिरता मंदिर है। हम सम्पादक महोदय की राय से पूर्ण सहमत हैं।

- मदन सालवी 'ओजस्वी'
कुम्भानगर, चित्तौड़गढ़

लूट सके तो लूट

आज चारों ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। खाद्य सामग्री में मिलावट, बाट-माप में हेराफेरी, देशी घी की मिठाई के नाम पर, जो कल गरीब थे आज करोड़पति बन बैठे हैं।

बाजारों में दुकानदारों द्वारा और राशन वितरण में सरकारी नुमाइन्दों व राशन विक्रेताओं द्वारा लूट। दफ्तरों, अस्पतालों, न्यायालयों आदि में घूस लेने की प्रतियोगिता, आम आदमी क्या करें? कहीं कोई अंकुश नहीं है...कहावत चरितार्थ 'लूट सके तो लूट'।

हम सभी उपभोक्ता संगठनों को भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे द्वारा चलाए गए आन्दोलन और लोकपाल बिल को पूरा समर्थन देने के लिए प्रचार-प्रसार किए जाने की राय है, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आन्दोलन चला है वह काफी समय तक जारी रखना होगा।

- बी.एल. चौहान एडवोकेट, अध्यक्ष
जागरूक संस्थान, ब्यावर

गरीबी मिटे तो हम सुपर पावर

हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम ने कहा है कि आज विश्व में कोई सुपर पावर नहीं है। भारत में गरीबी मिटने व 121 करोड़ लोगों के खुशहाल होने पर ही हम विश्व में सुपर पावर होंगे। भारत में सबसे बड़ी समस्या गरीबी है। इस समस्या को दूर करने के लिए प्रशासन और राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा सामाजिक पतन कैसे रुके इस पर विचार करना होगा।

उन्होंने उदयपुर-राजसमन्द के भुवाणा स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि वह चाहते हैं कि देश में प्रशासन जवाबदेह व पारदर्शी हो। इससे गरीबों की योजनाओं के लाभ पूरी तरह उन तक पहुंच सकेंगे। उन्होंने छात्रों से कहा कि स्कूल से बाहर कदम रखते ही आपको देश का ऐसा सुनहरा भविष्य लिखना है, जिसमें शहर व गांव के बीच खाई नहीं हो।

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स', जयपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485